

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (20)/एम.ई/गुप-1/2011

जयपुर, दिनांक 14.12.2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, सर्जिकल आन्कोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू 6600/-) में विल्ट (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ.14 (1) एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा विल्ट (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अर्थाई रूप से एक वर्ष के परीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम व पता | मेरिट संख्या | जन्म तिथि | वर्ग जिसमें चयन हुआ | पदस्थापन स्थान | वर्ग जिसमें चयनित हुआ |
|---------|--|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | डॉ० कमल किशोर लखेरा पुत्र श्री रामावतार लखेरा, पता-12/412, मंगला मार्ग, बडा अखाडा, ब्रह्मपुरी, जयपुर -303002 (राज) | एम-3 ए | 20.11.1984 | GEN | मेडिकल कॉलेज, जयपुर | GENM |

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व विल्ट विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7) विल्ट/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं विल्ट (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1) विल्ट/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं विल्ट (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) विल्ट/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 07 (12) भर्ती/गोपनीयता /2014-15 /130 दिनांक 26.05.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग को वेबसाइट पर अपडेशन हेतु।
7. डॉ० कमल किशोर लखेरा पुत्र श्री रामावतार लखेरा, पता-12/412, मंगला मार्ग, बडा अखाडा, ब्रह्मपुरी, जयपुर -303002 (राज) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव